15.5.19 वकील अभ्यर्थी उप० प्रतिवादी सं. 2/1 को जारी समन बाद या अदम तामील प्राप्त नहीं हुआ है। वकील वादी प्रतिवादी सं. 2/1 की तलबी हेतु रजि. सम्मन तलबाना पेश करे। पेश होने पर जारी हो। वकील वादी रजिस्टर्ड समन जारी होने के पश्चात रजि. डाक रसीद पेश करे। ~~पेश होने पर~~ पत्रावली वास्ते तलबी प्रति. सं. 2/1 दिनांक 14.6.19 को पेश हो।

06

14.6.19 आज बार संघ ने कार्य नही करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18.6.19 को पेश हो।

18.6.19 वादीगण द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा हो चुका है एवं अब वे इस प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहते तथा प्रकरण को इसी स्टेज पर दाखिल दफ्तर की जावे।

विकास

राजीव

प्रति मे इसकी शनाख्त करता हूँ

वादीगण व वकील वादी को सुना गया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र के तथ्यों का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा इस प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहने पर वाद को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल अभिलेखागार हो।

08

18/6

(मुकेश बारेठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर